न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—   67/2023

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

राजेश पुत्र जगनलाल (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—गणेश बॉटलिंग, प्लॉट नं. 92, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।
निवासी—प्लॉट नं. 41, सेक्टर नं. 22, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री प्रतापसिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—21.05.2024

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 20.05.2022 को समय सुबह 11.00 बजे खाद्य पदार्थों की चैंकिग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित मैसर्स—गणेश बाटलिंग, प्लॉट नं. 92, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर राजेश पुत्र जगनलाल (विक्रेता) निवासी—प्लॉट नं. 41, सेक्टर नं. 22, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त फर्म पर 300 एम.एल. वजनी मूल कंपनी पैक कांच की बोतल की करीब 400 बोतल (कुल 120 लीटर) Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) आमजन को बिक्री वास्ते रखी हुई थी। उक्त खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को फार्म नं. 5 ए देकर सूचित करते हुए उक्त स्थल पर रखे हुये Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) 300 एम.एल. वजनी 40 बोतल मूल कंपनी पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा। विक्रेता को मौके पर 280/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा ने हस्ताक्षर किये। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। जिस पर विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म ... एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ... 40 बोतल मूल कंपनी पैक Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) ... को मूल ही अलग—अलग 04 जगह बांधकर चार नमूने भाग तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर श्रीमान डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एके—2225 दर्ज कर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक भाग पर चिपकाया। प्रत्येक भाग को अलग—अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एके—2225 जो श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित को चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक पूरे राउंड पर गोंद से

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1981 दिनांक 03.06.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस की गई कि उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा मात्र मिसब्राण्डेड फूड घोषित किया हैं नमूना में ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अप्रार्थी से जिस Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) का सैंपल लिया गया है उक्त Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) निर्माण कंपनी द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी निर्माता व डीलर नहीं है बल्कि मात्र कर्मचारी है। अप्रार्थी ने एफएसएसए की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन नहीं किया है। एफएसएसए की धारा 31 (2) के तहत सुधारात्मक कार्यवाही कर छोड़ने का प्रावधान है। जिसका अप्रार्थी को लाभ दिया जाना न्यायोचित है। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण ड्राप किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस में लैबलिंग संबंधी कमी होने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Sweetened Carbonated Water (Super Toss Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़